206

CANCELLED

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, जबलपुर (म.प्र.)

पुनरीक्षण क्रमांक : /2014-15 R-3580-I/14

पुनरीक्षणकर्तागण :

1. श्रीमती उर्मिला जैन उर्फ मायारानी पति श्री समेरचन्द जैन
2. संतोष कुमार जैन आत्मज स्व0 टेकचन्द जैन
3. श्रीमती सुनीता जैन पत्नि सुनील कुमार जैन

सभी निवासी-दरहाई तहसील व जिला-जबलपुर (म.प्र.)

वि रू द्ध

416

उत्तरवादीगण :

1. अशोक कुमार जैन आत्मज दुलीचन्द जैन उम्र करीब 62 वर्ष निवासी-843 कमानिया गेट सराफा वार्ड, तहसील व जिला-जबलपुर (म.प्र.)
2. सुरेन्द्र कुमार जैन आत्मज स्व0 श्री टेकचंद जैन उम्र करीब 55 वर्ष निवासी -17 वैभव अपार्टमेन्ट राईट टाऊन तहसील व जिला-जबलपुर
3. मध्य प्रदेश शासन द्वारा-सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख नजूल जबलपुर.

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ...
22 SEP 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण, न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा द्वितीय अपील कं0 92/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2014 से दुखित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रहे है :-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 3580-एक/14 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-6-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 92/अ-6/13-14 में पारित आदेश दिनांक 21-7-2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा विचारण न्यायालय/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख नजूल जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-4-09 से परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन के साथ पेश की । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30-8-2013 द्वारा उक्त अपील 44 माह के विलंब का न्यायोचित कारण न मानते हुए अवधि बाह्य मानकर निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो उन्होंने स्वीकार की एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर यह निर्देश दिए कि अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11-12-12 स्वीकार कर उभयपक्षों को सुनने के उपरांत गुणदोष पर आदेश पारित किया जाये । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें बिना सूचना एवं सुनवाई के आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 4-6-14 को आगामी पेश दिनांक 21-7-14 प्रवाचक द्वारा दी गई थी, अतः ऐसी पेशी के आधार पर सुनवाई कर आदेश पारित करना न्यायसंगत नहीं है । यह तर्क भी दिया गया कि संहिता की धारा 5 पक्षकार का अधिकार नहीं है । उक्त धारा के तहत दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्टीकरण दिया जाना	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
	आवश्यक है । अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा विलंब का समुचित स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारण उनकी अपील को निरस्त किया था, उनके आदेश में कोई त्रुटि नहीं है । अपर आयुक्त द्वारा अपील को पुनः रिमाण्ड कर न्यायिक भूल की है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में 2007(2) एम.पी.डब्लू.एन. 80, 2007(2) एम.पी.डब्लू.एन. 111, 2012 (1) एम.पी.डब्लू.एन. 25 एवं 2010 (2) एम.पी.डब्लू.एन. 108 का हवाला दिया गया है । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाकर आदेश पारित किया गया था जो विधिसम्मत नहीं है । अतः ऐसे आदेश के विरूद्ध परिसीमा लागू नहीं होती है । यह भी कहा गया कि छल व कपट से प्राप्त आदेश पर अवधि समयसीमा लागू नहीं होती है । अनावेदकों को विचारण न्यायालय की जानकारी समाचार पत्र दिनांक 25-11-12 से हुई तब उन्होयंने आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त की अतः इस प्रकरण में जानकारी दिनांक 1-12-12 से प्राप्त होगी और जानकारी के दिनांक से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील समयावधि में थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करना चाहिए था नाकि अपील को अवधि बाहृय मानकर निरस्त करना चाहिए था । यह कहा गया कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कई न्यायदृष्टांतों को उद्वरित किया गया था किंतु उनका उल्लेख उन्होंने नहीं किया । अपने तर्कों के समर्थन में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1974 आर0एन0 452, 2007 (1) एम.पी.डब्लू.एन. 143, 1996 आर0एन0 351, 2005 आर0एन0383, 2010 आर0एन0 215 एवं 2008 (3) एम.पी.एल.जे. 400 का हवाला देते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में विद्वान अपर आयुक्त ने अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत यह पाया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष दुलीचंद, परमानंद तथा टेकचंद जैन की मृत्यु होने का तथ्य उपलब्ध था परंतु विचारण न्यायालय द्वारा वारिसान को पक्षकार बनाकर	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 3580-एक/14 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उन्हें आहूत करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष उचित है कि अनावेदकगण (उनके न्यायालय में आवेदकगण) दुलीचंद एवं टेकचंद जैन के वारिसान थे, उन्हें विचारण न्यायालय में आवेदक द्वारा पक्षकार बनाना चाहिए था किंतु उक्त तथ्य छिपाया गया है । अतः उनका यह कहना कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को जानकारी दिनांक से समयावधि में मानकर गुणदोष पर निराकरण करना चाहिए था न्यायिक एवं विधिसम्मत है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त द्वारा अनेक न्यायदृष्टांतों का उल्लेख करते हुए निकाला गया निष्कर्ष उचित है कि केवल विलंब के कारण अथवा तकनीकि आधार पर अपील खारिज नहीं करना चाहिए । अतः इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा अनावेदकों की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करने के निर्देश देने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रथम अपीलीय न्यायालय में उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है । परिणामस्वरूप अपर आयुक्त का आलोच्य आदेश स्थिर रखा जाता है एवं यह निगरानी निरस्त की जाती है । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	